

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 80/2025

दायर दिनांक: 04.04.2025

उनवान

राधेश्याम पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति बलाई नि. दुबलिया तहसील रायपुर

- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं सहपठित

धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक : 23.06.2025

वादी राधेश्याम पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या जाति बलाई नि. दुबलिया तहसील रायपुर के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड राधेश्याम का आधारकार्ड (649080694835), भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र (WGD/0409276), जनाधार कार्ड (4738787571), परिवार राशनकार्ड (010487300136), ग्राम बरखेडी जदीद का नामा.सं. 51, ग्राम पंचायत सूलिया तहसील पचपहाड का पत्रांक 123 दिनांक 25.03.2024, तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट पत्रांक 670 दिनांक 12.05.2025 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बरखेडी जदीद प.म. दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 41 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (वादी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो रेकार्ड में दर्ज की जानी)
1	ग्राम बरखेडी जदीद प. म. दुबलिया तहसील रायपुर	41	श्याम उर्फ श्यामलाल पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या	राधेश्याम उर्फ श्याम पि. मांगीलाल उर्फ मांग्या

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला, झालावाड (राज.)

दिनांक 23.06.2025

क्रमांक:- राजस्व/2025/ 80

प्रतिलिपी-तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला, झालावाड (राज.)

